बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 08.06.26

संख्या–V/उ0–4–03/2020 3407 / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मद्यनिषेध सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को सहायक आयुक्त मद्यनिषेध स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	सिविल लिस्ट क्रमांक	वर्तमान कोटि
1	श्री अरूण कुमार मिश्र	07/2025	अधीक्षक मद्यनिषेध
2	श्री ओम प्रकाश	20/2025	अधीक्षक मद्यनिषेध
3	श्री लाला अजय कुमार सुमन	22/2025	अधीक्षक मद्यनिषेध
4	श्री राकेश कुमार	28/2025	अधीक्षक मद्यनिषेध

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक आयुक्त मद्यनिषेध स्तर (विहित वेतनमान–वेतन स्तर–11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उक्त पदाधिकारियों को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त नियमावली के नियम–6 (iii) के तहत् नियमित प्रोन्नति के उपरांत यदि उच्चतर पद का प्रभार धारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा।

5. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आयुक्त मद्यनिषेध स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– V/उ0–4–03/2020 3407 /पटना, दिनांक – 08.06.26

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– V/उ0–4–03 / 2020 3407 / पटना, दिनांक – 08.06.26

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उपायुक्त मद्यनिषेध / सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध / सभी अधीक्षक मद्यनिषेध / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– V/उ0–4–03 / 2020 3407 / पटना, दिनांक – 08.06.26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव / सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव